

Eastern Railway
(Personnel Department)

Serial Circular No. 87/2014

No. E.70/0/Pt.V

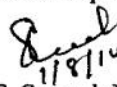
Kolkata, dated: 01/08/2014

All Concerned

Sub: Enhancement in the rate of Festival Advance as a result of increase in DA w.e.f. 01.01.2014.

Copy of Railway Board's letter No. 2011/E [LL]/FA/1 dated 22.07.2014 (**RBE No. 79/2014**) on the above noted subject is appended below for information, guidance and necessary action. Board's earlier letters dated 18.07.2011 and 28.03.2014 referred to therein were circulated under this office serial nos. 94/2011 and 29/2014 respectively.

DA: Hindi version.


11/8/14
(S. Ganguly)

Asstt. Personnel Officer/R & Bills
for Chief Personnel Officer

Copy of Board's letter No. 2011/E [LL]/FA/1 dated 22.07.2014 (**RBE No. 79/2014**) addressed to the GMs, All Zonal Railways/PUs & others.

Sub: Enhancement in the rate of Festival Advance as a result of increase in DA w.e.f. 01.01.2014.

Please refer to Board's letter of even number dated 18.07.2011, conveying enhancement in the rate of Festival Advance by 25% on increase of Dearness Allowance to 51%.

2. Railway Board vide letter No. PC.VI/2008/1/7/2/1 dated 28.03.2014 has enhanced the DA payable to railway employees from the existing rate of 90% to 100% w.e.f. 01.01.2014.

3. Consequent upon aforesaid enhancement of DA to 100%, the matter regarding revision in the rate of Festival Advance has been considered by the Board and decided that the rate of Festival Advance shall increase by 25% w.e.f. 01.01.2014.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. There is no change in the other terms and conditions for grant of festival advance

Sd/-[Madan Lal]
Director Estt. [LL]

Index No. 1031: Consequent upon enhancement of Dearness Allowance to 100%, the rate of Festival Advance shall increase by 25% w.e.f. 01.01.2014.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

आरबीई सं. 79/2014

सं. 2011/ई(एलएल)/एफए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2014

महा प्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, अ.अ.मा.सं., कोर, मेट्रो रेलवे,
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं., लखनऊ
महानिदेशक, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा
निदेशक, इरिसेन/पुणे, इरीन/नासिक रोड, इरिमी/जमालपुर, इरिसेट/सिकन्दराबाद, जेआरआरपीएफ
एकडमी/लखनऊ, इरिटिम/लखनऊ।
अध्यक्ष, रेल भर्ती बोर्ड, अजमेर, अहमदाबाद, इलहाबाद, बेंगलूर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नै,
कलकत्ता, जम्मू, गोरखपुर, गुवाहाटी, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकन्दराबाद और
तिरुवनंतपुरम
वेतन एवं लेखा अधिकारी, रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

विषय: 01.01.2014 से महंगाई भत्ता में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप त्र्यौहार अग्रिम की दर में वृद्धि।

कृपया दिनांक 18.07.2011 के समसंख्यक पत्र का अवलोकन करें जिसमें महंगाई भत्ता बढ़कर 51% होने पर त्र्यौहार अग्रिम की दर में 25% वृद्धि की गई थी।

2. रेलवे बोर्ड ने दिनांक 28.03.2014 के पत्र सं. पीसी.VI/2008/1/7/2/1 के तहत 01.01.2014 से रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 90% की मौजूदा की दर से बढ़ाकर 100% कर दिया है।
3. महंगाई भत्ता में 100% की उक्त वृद्धि के परिणामस्वरूप, त्र्यौहार अग्रिम की दर में वृद्धि करने से संबंधित मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया कि त्र्यौहार अग्रिम की दर में 01.01.2014 से 25% वृद्धि की जाएगी।
4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।
5. त्र्यौहार अग्रिम देने से संबंधित अन्य निबंधन एवं शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
6. कृपया पावती दें।

निदेशक, स्था. (एलएल)

जारी पृष्ठ -2-.....

-2-

सं. 2011/ई(एलएल)/एफए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2014

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत के उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)
2. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें, उत्पादन इकाइयां

वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2011/ई(एलएल)/एफए/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.07.2014

- 1) जनरल सेक्रेटरी, एआईआरएफ, एनएफआईआर (15 अतिरिक्त प्रतियाँ सहित)।
- 2) सेक्रेटरी जनरल, फ़ोआ एवं इरपोफ, एआईआरपीएफए।
- 3) सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप 'ए' ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 4) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड क्लास II ऑफिसर्स एसोसिएशन।
- 5) सचिव, रेलवे बोर्ड मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन।
- 6) सचिव, रेलवे बोर्ड क्लास-IV स्टाफ एसोसिएशन।

कृते सचिव/ रेलवे बोर्ड.